

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन—मंत्रालय—भोपाल

क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 नवंबर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय— संतान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ— वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 22.8.2015, एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 30.9.2015.

—x—

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम-38(सी) द्वारा राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है। संतान पालन अवकाश के आवेदन स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से समक्ष में आई जिज्ञासाओं को निम्नानुसार सपष्ट किया जाता है:-

- (अ) संतान पालन अवकाश के आवेदन के समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी, आवेदन में उल्लेखित कारण पर्याप्त माना जावेगा।  
(ब) उपर्युक्त अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भांति अर्थात् तीन सप्ताह पूर्व ही होगी।  
(स) किसी एक अवसर हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
सही  
17.11.2015  
(उपेन्द्र शर्मा)  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. B/2005

Jabalpur, dated 28.4.2016

Copy of the Circular of the Finance Department No. एफ 6-1/2015/ नियम/चार, Bhopal, dated 17.11.2015 is forwarded to;

1. The District and Sessions Judges, (All in the State) with request that the same be circulated to all the Judicial Officers under your jurisdiction for information, necessary action and guidance,
2. The Principal Registrar (ILR & Exam), The Principal Registrar (Vigilance), Registrar (DE)/(ADMN.)/(VL)/(J-1)/(J-II)/(J-III)/(I.T. HW)/(I.T. SW)/(Exam & Labour)/(H.C.L.S.C.), High Court of M.P. with request that the same be circulated to all the Judicial Officers under your jurisdiction for information, necessary action and guidance,
3. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for being placed before the Registrar General,
4. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice,
5. Joint Registrar (Protocol), High Court of M.P. for information

(VIVEK SAXENA)  
O.S.D. (D.E.)